



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2011/अग्रहायण 7, 1933

No. 247]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2011/AGRAHAYANA 7, 1933

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2011

सं. एफ. 1/10/2011-एनएस-II.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि किसान विकास पत्रों की बिक्री, बुधवार को समाप्त होने वाले कारोबार की तारीख 30 नवम्बर, 2011 से बंद हो जाएगी।

एम. ए. खान, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2011

No.F. 1/10/2011-NS-II.—It is notified for general information that the sale of Kisan Vikas Patras shall be discontinued with effect from the close of business on Wednesday, the 30th November, 2011.

M. A. KHAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2011

सं. एफ. 1/12/2011-एनएस-II.—केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा अधिसूचित करती है कि प्राधिकृत मानकीकृत एजेंसी प्रणाली और महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के एजेंटों को मानकीकृत एजेंसी प्रणाली और महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के अधीन उनके द्वारा निष्पादित किए गए करार के निबंधनों के अनुसार लघु बचत योजनाओं में प्रचार/निवेश प्राप्त करने पर निम्नांकित दर पर कमीशन का भुगतान किया जाएगा :—

(क) महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना (एमपीकेबीवाई)

दर

(i) पांच वर्षीय आवर्ती जमा खाता

—4 प्रतिशत

## (ख) मानकीकृत एजेंसी प्रणाली (एसएस)

(i) एक वर्षीय सावधि जमा	—0.5 प्रतिशत
(ii) दो वर्षीय और तीन वर्षीय सावधि जमा	—0.5 प्रतिशत
(iii) पांच वर्षीय सावधि जमा	—0.5 प्रतिशत
(iv) मासिक आय खाता योजना	—0.5 प्रतिशत
(v) पांच छः वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम)	—0.5 प्रतिशत
(vi) दस वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (IX निर्गम)	—0.5 प्रतिशत

2. लोक भविष्य निधि योजना (1%) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (0.5%) के संबंध में दिया जाने वाला कमीशन समाप्त किया जाएगा।

3. राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा दिया जाने वाला कोई प्रोत्साहन, यदि कोई है, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले कमीशन में से कम कर दिया जाएगा।

4. ये अनुदेश पहली दिसम्बर, 2011 से लागू होंगे।

एम. ए. खान, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2011

**No. F. 1/12/2011-NS-II.**—The Central Government hereby notifies that the authorised Standardised Agency System (SAS) and Mahila Pradhan Kshetriya Bachat Yojana (MPKBY) agents for canvassing/securing investments in the small savings schemes as per the terms of agreement executed by them under the Standardised Agency System (SAS) and Mahila Pradhan Kshetriya Bachat Yojana (MPKBY) will be paid commission at the rate indicated below :

(A) Mahila Pradhan Kshetriya Bachat Yojana (MPKBY)	Rate
(i) Five Year Recurring Deposit Account	—4%
(B) Standardised Agency System (SAS)	
(i) One-year Time Deposit	—0.5%
(ii) Two-year and 3-year Time Deposit	—0.5%
(iii) Five-year Time Deposit	—0.5%
(iv) Monthly Income Account Scheme	—0.5%
(v) Five/Six-year National Savings Certificate (VIII-Issue)	—0.5%
(vi) Ten-year National Savings Certificate (IX-Issue)	—0.5%

2. Payment of commission on Public Provident Scheme (1%) and Senior Citizens Savings Scheme (0.5%) shall be discontinued.

3. Incentive, if any, paid by State/Union Territory Governments shall be reduced from commission paid by the Central Government.

4. These instructions shall take effect from the 1st day of December, 2011.

M. A. KHAN, Under Secy.



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2252]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2011/अग्रहायण 7, 1933

No. 2252]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2011/AGRAHAYANA 7, 1933

वित्त मंत्रालय

( आर्थिक कार्य विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2011

का.आ. 2681(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23) की धारा 5 के अनुसरण में, यह अधिसूचित करती है कि निधि में दिसम्बर की पहली तारीख को अथवा उसके पश्चात् निधि में किए गए अभिदानों तथा अभिदाताओं के खाते में जमा शेष पर 8.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज दिया जाएगा ।

[फा. सं. 1/9/2011-एन.एस.-II]

एम. ए. खान, अवर सचिव

**टिप्पण :**—मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 48(अ), तारीख 15 जनवरी, 2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे बाद में का.आ. 192(अ), तारीख 1 मार्च, 2011, का.आ. 271(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 तथा का.आ. 250(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2011

**S.O. 2681(E).**—In pursuance of Section 5 of the Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968) the Central Government hereby notifies that the subscriptions made to the fund on or after the 1st day of December, 2011 and

4337 GI/2011

balances at the credit of the subscriber shall bear interest at the rate of 8.6 per cent per annum.

[F. No. 1/9/2011-N.S.-II]

M. A. KHAN, Under Secy.

**Note :—**The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 48(E), dated 15th January, 2000 and subsequently amended *vide* S.O. 192(E), dated 1st March, 2011, S.O. 271(E), dated 1st March, 2002 and S.O. 250(E), dated 1st March, 2003.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2011

का.आ. 2682(अ).—केन्द्रीय सरकार, डाकघर बचत लेखा नियम, 1981 के नियम 6 के अनुसरण में, यह अधिसूचित करती है कि किसी खाते में जमा अतिशेष पर दिया जाने वाला ब्याज 1 दिसम्बर, 2011 से 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर अनुज्ञात होगा ।

[फा. सं. 1/10/2011-एन.एस.-II]

एम. ए. खान, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2011

**S.O. 2682(E).**—In pursuance of rule 6 of the Post Office Savings Account Rules, 1981, the Central Government hereby notifies that, with effect from the 1st day of December, 2011, interest on the balance at credit of an account shall be allowed at the rate of four per cent per annum.

[F. No. 1/10/2011-N.S.-II]

M. A. KHAN, Under Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 641]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2011/अग्रहायण 7, 1933

No. 641]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2011/AGRAHAYANA 7, 1933

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 841(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 283 के खंड(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (अभिरक्षा और विनिधान) नियम, 2001 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात:-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (अभिरक्षा और विनिधान) संशोधन नियम, 2001 है।

(2) ये दिसंबर, 2011 के पहले दिन को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (अभिरक्षा और विनिधान) नियम, 2011 के नियम 9 में, -

(क) उप नियम (1) में

(i) उप नियम (1) में "राज्य सरकार की प्रतिभूतियां" शब्दों के पश्चात "अथवा किसी अन्य लिखत में" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) परंतुक का लोप किया जाएगा।

(ख) उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"10 निवेशों की परिपक्वता पर प्राप्त होने वाली राशि को केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा। ऐसी प्रतिभूतियां उप नियम (3) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसार निर्गमित की जाएंगी। उप नियम (5) और उप नियम (6) के अंतर्गत यथावर्णित उपयुक्त लेखा प्रविष्टियां मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय द्वारा की जाएंगी।"

[फा. सं. 1/12/2011-एन.एस.-11]

एम. ए. खान, अवर सचिव

**टिप्पणः** मुख्य नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि.114(अ) तारीख 27 फरवरी, 2001 के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और पश्चात सा.का.नि.587(अ) तारीख 12 सितंबर, 2007 के द्वारा संशोधित किए गए।

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Economic Affairs)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th November, 2011

**G.S.R. 841(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 283 of the Constitution, the President hereby makes the following further amendments in the National Small Savings Fund (Custody and Investment) Rules, 2001, namely:-

1. (1) These rules may be called the National Small Savings Fund (Custody and Investment) Amendment Rules, 2011.
- (2) They shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of December 2011.

2. In the National Small Savings Fund (Custody and Investment) Rules, 2001, in rule 9,-

(a) In sub-rule (1),-

- (i) after the words "State Government Securities", the words "or in any other instrument" shall be inserted;
- (ii) proviso shall be omitted;

(b) For sub-rule (10), the following shall be substituted, namely:-

"(10) The amount received on maturity of the investments shall be invested in the Central Government and State Government securities. Such securities shall be issued in accordance with the provision contained in sub-rule (3). Suitable accounting entries as mentioned in sub-rule (5) and sub-rule (6) shall be made by the Chief Controller of Accounts, Ministry of Finance".

[F. No. 1/12/2011-NS-II]  
M. A. KHAN, Under Secy.

**Note:** The Principal Rules were published in the Gazette of India vide Notification No. G.S.R. 114(E), dated the 27<sup>th</sup> February, 2001 and subsequently amended vide G.S.R. 587(E) dated the 12<sup>th</sup> September, 2007.

